न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 07/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीः-
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, पाली		ऊमसिंह पुत्र दुधसिंह निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक : 24-9-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी ऊमसिंह पुत्र दुधसिंह निवासी कोसेलाव के विरुद्ध पेश किया गया है। जिसको दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली पर बहस सुनी गई। वक्त बहस अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता बावजूद बार-बार आवाज लगाने के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 30.11.2017 को पेट्रोल व डीजल की अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु प्रार्थी मय प्रवर्तन निरीक्षक, रानी एवं प्रवर्तन निरीक्षक सुमेरपुर के साथ कोसेलाव स्थित अप्रार्थी की दुकान मैसर्स राजन रेडियन के सामने साण्डेराव रोड, कोसेलाव पर स्थित है, पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी ऊमसिंह पुत्र दुधसिंह उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही दुकान का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री रतनसिंह, ग्राम सेवक, ग्रा.प. कोसेलाव एवं मोहनलाल निवासी कोसेलाव की उपस्थिति में दुकान की जांच करने पर तीन नीले रंग के जरीकेन जिसमें से एक में 50 लीटर पैट्रोल, एक हरे रंग का जरीकेन जिसमें 20 लीटर पैट्रोल तथा लोहे का एक ड्रम मय पाइप व मशीन, मापने का यंत्र एवं प्लास्टिक का कीप पाये गये। मौके पर अप्रार्थी से मांगने पर किसी प्रकार के विधिक दस्तावेज अथवा अनुज्ञा पत्र बाबत पैट्रोल भंडारण एवं विक्रय के संबंध में उपलब्ध नहीं करवाये गये। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने तथा इस प्रकार पैट्रोल व डीजल अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए पाए जाने के फलस्वरूप पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय व रखरखाव) आदेश, 1999 की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री कानाराम पुत्र रामजी, उ.मु.दु. कोसोलाव, तहसील सुमेरपुर को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा पैट्रोल व डीजल का व्यावसायिक उपयोग कर पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय व रखरखाव) आदेश, 1999 की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा तीन नीले रंग के जरीकेन जिसमें से एक में 50 लीटर पेट्रोल, एक हरे रंग का जरीकेन जिसमें 20 लीटर पेट्रोल तथा लोहे का एक ड्रम मय पाइप व मशीन, मापने का यंत्र एवं प्लास्टिक का कीप को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी बदामदसुदा डीजल अपने कृषि कार्य में उपयोग लेने हेतु इक्कठा किया गया था। अप्रार्थी के खुद का ट्रेक्टर है जिसमें डीजल की आवश्यकता पड़ती है तथा आस-पास में कोई पैट्रोल पम्प नहीं होने से ग्रामवासियों को आवश्यकता अनुसार पैट्रोल व डीजल को संग्रह किया जाना पड़ता है, मात्र इसी हेतु अप्रार्थी ने डीजल व पैट्रोल का संग्रहण किया था। वह पैट्रोल व डीजल का अवैध व्यवसाय नहीं करता है

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

तथा अप्रार्थी द्वारा व्यवसाय किया जाना पत्रावली पर सिद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, वकील अप्रार्थी के जवाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा तीन नीले रंग के जरीकेन जिसमें से एक में 50 लीटर पैट्रोल, एक हरे रंग का जरीकेन जिसमें 20 लीटर पैट्रोल तथा लोहे का एक ड्रम मय पाइप व मशीन, मापने का यंत्र एवं प्लास्टिक का कीप उनके व्यावसायिक परिसर में पाये गये। अप्रार्थी के जवाब में डीजल क़ा संग्रहण का उल्लेख है, जबकि अप्रार्थी की दुकान से पैट्रोल जब्त किया गया था। डीजल जब्त ही नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अप्रार्थी को किसान व उसके पास स्वयं का ट्रेक्टर होने का उल्लेख किया है। जबकि इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करने से जवाब की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। अप्रार्थी के पास कुल 70 लीटर पैट्रोल अलग–अलग दो जरीकेन में मिला अन्य पैट्रोल निकालने की मशीन, मापने का यंत्र तथा प्लास्टिक कीप का मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी अवैध रूप से पेट्रोल विक्रय का कार्य करता है तथा उसके पास इस हेतु पर्याप्त वैधानिक दस्तावेज, विक्रय एवं भण्डारण बाबत अनुज्ञा पत्र नहीं है। फिर भी अप्रार्थी द्वारा पैट्रोल व डीजल का अवैध संग्रहण किया गया है। ऐसी स्थिति में ऊमसिंह पुत्र दुधसिंह द्वारा पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय व रखरखाव) आदेश, 1999 की अवहेलना किए जाने से जब्तसुदा पैट्रोल एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा जब्तसुदा तीन नीले रेग के जरीकेन जिसमें से एक में 50 लीटर पैट्रोल, एक हरे रंग का जरीकेन जिसमें 20 लीटर पेट्रोल तथा लोहे का एक ड्रम मय पाइप व मशीन, मापने का यंत्र, प्लास्टिक का कीप को राज्यसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा पैट्रोल व अन्य सामग्री सुपुदर्गीदार से प्राप्त कर पैट्रोल को पेट्रोल पम्प के माध्यम से प्रचलित दर पर विक्रय कर प्राप्त राशि एवं अन्य सामग्री की नीलामी कर उससे प्राप्त राशि राजकीय कोष में जमा करा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 24-9-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)